भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 641

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

एम० पी० एफ० योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए वित्तीय सहायता को हटाया जाना

641. प्रो० एम० वी० राजीव गौडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम० पी० एफ०) योजना से राज्यों के लिए वित्तीय सहायता को संभावित रुप से हटाए जाने से सुरक्षा को खतरा पैदा होगा;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या 10 प्रतिशत के अतिरिक्त केन्द्रीय कर राजस्व होने के बावजूद ऊपर उल्लिखित राज्यों की बजट क्षमताओं से पुलिस अवसंरचना, प्रशिक्षण, फॉरेंसिक तथा अनुसंधान में सुधार की अनुमति होगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख) : पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की योजना स्कीम का मुख्य उद्देश्य पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत शामिल की गई पुलिस अवसंरचना की कुछ प्रमुख मदें योजनागत के तहत पुलिस भवन, पुलिस आवास और योजनेत्तर के तहत गतिशीलता, हथियार, प्रशिक्षण उपकरण, कम्प्यूटरीकरण, विधिविज्ञान और महानगरीय पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) हैं। एमपीएफ योजना के तहत योजनागत घटक केवल वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया था। वर्ष 2015-16 के दौरान एमपीएफ योजना के योजनागत घटक के तहत कोई निधियां प्रदान नहीं की गईं। इस योजना का योजनागत घटक राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है। तथापि, एमपीएफ योजना के तहत राज्य पुलिस हेतु गतिशीलता, उपकरण, हथियारों आदि के लिए बजट अनुमान 2015-16 के तहत 595 करोड़ रु. का गैर-योजनागत आबंटन है।

(ग) और (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। यद्यपि केन्द्र सरकार उपर्युक्त योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को संपूरित कर रही है, तथापि, संबंधित राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

****